न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारी:—श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या : 04 / 2020

बउनवान:—

1. प्रेमचंद पुत्र सोहन लाल सहरिया निवासी सिंगोला तहसील मांगरोल

.... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

वकील प्रार्थी : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांक: 28.01.2020 निर्णय दिनांक : 22.10.2020

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 56 खसरा नं. 181 / 259 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम सिंगोला तहसील मांगरोल के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम सहवन से प्रेमचंद के स्थान पर प्रेमलाल व उसके पिता का नाम सोहन लाल के स्थान पर सोनिया दर्ज कर दिया है। जबकि वादी का वास्तविक नाम प्रेमचंद पुत्र सोहन लाल है। वादी के अन्य दस्तावेजो मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड मे भी वादी का नाम प्रेमचंद पुत्र सोहन लाल ही दर्ज है। इस लिए वादी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 56 मे अपना नाम प्रेमलाल पुत्र सोनिया के स्थान पर प्रेमचंद पुत्र सोहन लाल दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र की पुष्टि तहसीलदार मांगरोल के पत्रांक: भू.अ. / 2020 / 4036 दिनांक 17.09.2020 से की गई है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजात, रिपोर्ट पटवारी हल्का व अनुशंषा लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल जो अप्रार्थी है से यह भली प्रकार सिद्ध है कि प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम प्रेमचंद पुत्र सोहन लाल है। अत: प्रार्थी व पिता का नाम प्रेमलाल पुत्र सोनिया के स्थान पर प्रेमचंद पुत्र सोहन लाल किया जाना उचित है।

अत: चौसाला जमाबंदी 2074—2077 ग्राम सिंगोला में खाता संख्या 56 खसरा नं. 181 / 259 रकबा 0.80 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज नाम प्रेमलाल पुत्र सोनिया के स्थान पर प्रेमचंद पुत्र सोहन लाल इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांग[illegible]सार पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को सरे इजलास [illegible]आम में सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:48 IST
Reason: SelfAttested